कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

<u>सरकारी वाहन की नीलामी हेतु नियम व शर्ते</u>

1— राजकीय वाहन संख्याः यू0के0 07 यू—0022 (लोगान कार), मेक— लोगान कार (डीजल), मॉडल— 2007, कलर— डी. वाईट की नीलामी **दिनांकः 18.05.2018 दिन— शुक्रवार, समयः— 1.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य** खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के कार्यालय में सम्पन्न की जायेगी।

2— नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में उक्त वाहन के लिए रू0 5,590/— (रू0 5,000/— रिफन्डेबल तथा रू0 590/— नॉन रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि दिनांक 18.05.2018 की दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराए, नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा तथा जिस नीलामीकर्ता की बोली अन्तिम होगी, उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को निविदा की समस्त धनराशि जमा करने तथा वाहन को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जायेगी व असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को उसी समय वापस कर दिया जायेगा।

3— सफल निविदादाता को वाहन उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान—पत्र की छायाप्रति तथा एक फोटो कार्यालय राज्य प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

4— जमानत धनराशि जमा करने हेतु प्रपत्र उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त प्रपत्र कार्यालय राज्य प्राधिकरण की वेबसाईट **www.slsa.uk.gov.in** में भी उपलब्ध है।

5— वाहन जैसा है जहां है का अवलोकन दिनांक 02.05.2018 से दिनांक 17.05.2018 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस के समय में प्रातः 10.00 बजे से सॉय 4.00 बजे तक किया जा सकता है।

6— उक्त राजकीय वाहन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य रूपये 1,15,000/— (रू0 एक लाख पंद्रह हजार मात्र) के ऊपर से बोली आरम्भ की जायेगी।

7— समिति द्वारा स्वीकार किया गया नीलामी मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर लिया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किये गये नीलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होंगी।

9— वाहन को नीलामी स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

10— वाहन जैसा है जहां है का निरीक्षण/परीक्षण दिनांक 02.05.2018 से दिनांक 17.05.2018 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस के समय में प्रातः 10.00 बजे से सॉय 4.00 बजे तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बोली लगाने वाली व्यक्ति/फर्म का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि जमानत धनराशि जमा करने से पूर्व नीलाम किये जाने वाले उक्त वाहन का सम्यक् रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर लें। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ वाहन को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।

11– यदि कार्यालय राज्य प्राधिकरण के संज्ञान में यह बात आती है कि बोली दाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।

12– नीलामी के संबंध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल का निर्णय सर्वमान्य होगा एवं बिना कारण बताये नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

13– नीलामी के संबंध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/–
सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल।

क्रम संख्याः ....

कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

(नीलामी फार्म – 1)

1– वाहन संख्या :– लोगान कार (डीजल) संख्या यू0के0 07 यू–0022 (माडल 2007)

2– व्यक्ति/फर्म का नाम :– ....

3– पूरा पता :– ....
....
....
....
....

4– मोबाइल/फोन नम्बर :– ....

5– फोटो :–

6– धरोहर/सुरक्षा धनराशि रू0 5,590/– (रू0 5,000/– रिफन्डेबल तथा रू0 590/– नॉन–रिफन्डेबल) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर :–

....

स्थान :– नैनीताल

दिनांक :–

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर

कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

दिनांकः 28.04.2018

वाहन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के राजकीय वाहन संख्याः यू0के0 07 यू–0022 (लोगान कार), मेक– लोगान कार (डीजल), मॉडल– 2007, कलर– डी. वाईट जो माननीय उच्च न्यायालय परिसर में जहॉ है, जैसी है, की नीलामी खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा **दिनांकः 18.05.2018 दिन– शुक्रवार, समयः– 1.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के कार्यालय में सम्पन्न की जायेगी।

वाहन का अवलोकन उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में किसी भी कार्यदिवस के समय में प्रातः 10.00 बजे से सॉय 4.00 बजे तक किया जा सकता है। नीलामी प्रक्रिया मे भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्राधिकरण, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में नीलाम होने वाले उक्त वाहन के लिए लिए रू0 5,590/– (रू0 5,000/– रिफन्डेबल तथा रू0 590/– नॉन रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि दिनांक 18.05.2018 की दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। नियम/शर्तो का अवलोकन कार्यालय उत्तराखण्ड, राज्य प्राधिकरण की वेबसाईट **www.slsa.uk.gov.in** पर सकते है।

ह0/–
सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल।